रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11062022-236485
CG-DL-W-11062022-236485

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2022 (ज्येष्ठ 21, 1944)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2022 (JYAISTHA 21, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2022

सं. ए-12/11/23/डी.एस.-भ.वि./2019-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद), भर्ती विनियम, 2008 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद) भर्ती विनियम, 2010, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दंत्य संवर्ग पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद), भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(11)	(12)	(13)
स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य)(एन.एफ.एस.जी.) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में (रु.1,23,100-2,15,900) में सात* वर्षों की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : दंत्य शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अध्ययन प्रयोजन से इत्तर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष; (2) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य; (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

दिनांक 2 जून 2022

सं. ए-12/11/3/आरआर-प्लास्टर/2020-चि.-VI.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और धारा 17 की उप-धारा (2) का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन), भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

   (क) भारत का नागरिक; अथवा

   (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा विहित इस प्रकार के शारीरिक परीक्षण के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी का परीक्षण कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता—ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध कर अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर सहायक	122*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 में (21,700-69,100 रुपये)।	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल की हड्डी रोग इकाई या ऑर्थो ऑपरेशन थियेटर में प्लास्टर लगाने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
नर्सिंग अर्दली से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में (18000-56900) में छह वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1: प्लास्टर सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन; - 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक - कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; 2. निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक - कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; 3. अधिमानत: संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य। समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के	लागू नहीं।

पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विचारार्थ) का गठन;- 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक - कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; 2. निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक - कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; 3. अधिमानत: संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर तकनीशियन	56*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में (25500-81100 रुपये)।	गैर-चयन।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल से प्लास्टर सहायक या प्लास्टर कर्तक (कटर) के रूप में पाँच वर्ष का कार्य अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष।	50% प्लास्टर सहायक से पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50% ड्रेसर से पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
(i) ड्रेसर से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 (रु.21700-69100) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा। (ii) प्लास्टर सहायक से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 (रु.21700-69100) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1: प्लास्टर तकनीशियन के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन : 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; 2. निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; 3. अधिमानत: संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य। समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन : 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; 2. निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; 3. अधिमानत: संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य।	लागू नहीं।

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

*Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.		

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

————

The 2nd June 2022

No. A-12/11/3/RR-Plaster/2020-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of Plaster Assistant and Plaster Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Plaster Assistant and Plaster Technician in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Plaster Assistant and Plaster Technician), Recruitment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be: -

   (a) a Citizen of India; or

   (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.-The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulation.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer or employee in the service.

   (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

   Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and with prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Plaster Assistant	122*(2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial	Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba. District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (i) 12th pass from a recognised board; and (ii) One year experience in application of Plaster in an Orthopedic Unit or Ortho Operation Theater of a Government recognised hospital. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruitment	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Nursing Orderly with six years regular service in Level-1 (Rs. 18000–56900) in pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Plaster Assistant, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of; - 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent- Employee' State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director - Employee' State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of;- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent- Employee' State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director - Employee' State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Plaster Technician	56*(2021) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix	Non-Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (i) 12th pass from a recognised board; and (ii) Five years working experience as Plaster Assistant or Plaster Cutter from a Government recognized hospital. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruitment.	50% by promotion from Plaster Assistant failing which by direct recruitment and 50% by promotion from Dresser failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
(i) Promotion from Dresser with five years of regular service in Level-3 (Rs.21700-69100) in pay matrix. (ii). Promotion from Plaster Assistant with five years regular service in Level-3 (Rs.21,700-69100) in pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Plaster Technician, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital –Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital –Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). –Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital –Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital –Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). –Member.	Not applicable.

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054